न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 73 / 2014 **दायर दिनांकः 22 / 07 / 2014**

उनवान

1. ओमप्रकाश आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मेघवाल निवासी डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. पन्नीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी रामनिवास तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,183, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0 बाबत रिकार्ड दुरस्ती

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान।

आदेश दिनाकः 12 / 09 / 2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 183, 188 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां में साबिक खाता संख्या 124 का ख०न० 188 का रकबा 6 बीघा आराजी वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल के केम्प डाबडिया में दिनांक 18.06.1965 को अलोट हुई थी।, वक्त एलोटमेन्ट से ही उक्त वर्णित आराजी पर वादी के पिता उनके जीवनकाल तक काश्त करते चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त 6 बीघा आराजी पर वादी एवं सहखातेदारान काबिज काश्त करते चले आ रहे है। नकल एलोटमेन्ट, नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट, मिलान क्षैत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। मद नं. 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये खाता संख्या 126 के खसरा नं0 242 का रकबा 0.76 है0 दर्ज किया है जो

पुराने वास्तविक रकबे से 0.20 है0 कम है। उक्त त्रुटि आपके अधिनस्थ सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने की है जब कि पास के खातेदार पन्नीबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी रामनिवास के पुराना रकबा 14 बीघा खाते दर्ज चली आ रही थी। लेकिन सेटलमेन्ट ने नये खाता सं0 63 के किता 3 का रकबा 2.54 है0 भूमि खाते दर्ज कर दी है। वादी एवं अन्य सहखातेदारान के आराजी कम कर देने से उनके स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पड रहा है तथा आर्थिक व मानसिक क्षति पहुॅच रही है। जिसे दूरस्थ कराने का मेरा पक्षकार अधिकारी एवं नॉलिसी है नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 नवीन नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा किये गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से वादी को अपने पूर्वजों के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पड रहा है। तथा कृषि ऋण लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना उत्पन्न हो गयी है वादी ने प्रतिवादी क्रम 2 से राजस्व जमाबन्दी में इन्द्राज दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होनें माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। बिना सहायता न्यायालय आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा रकबा कम दज्र करने की त्रुटि को दूर नही किया जा सकता इसलिए वादी को पुराने रकबे के अनुसार कम हुए नये रकबे को बढाकर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। जिसके वादी अधिकारी एवं नॉलिशी है इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वादी द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० का विधिक नोटिस जर्ये अधिवक्ता मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया है। दिनांक 24.06.2014 को पटवार हल्का द्वारा इस आशय की जानकारी देने पर तथा प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने की वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का बन चुका है। इसलिए बाद में वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी०पी०सी के साथ वाद माननीय न्यायालय में वाद पेश किया जा रहा है प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी०पी०सी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमित सुनवाई की जावे। वाद कारण प्रथम बार आपके अधिनस्थ तहसीलदार साहब द्वारा रिकार्ड दुरस्त करने से मना करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 24.06.2014 को वादी का प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी ग्राम व माल डाबडिया तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को

क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीक्रम 1 निम्न आशय पारित की जावें किः—

(अ) मद नं. 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये खाता संख्या 126 का खं नं. 242 का रकबा 0.76 है0 अर्थात 4 बीघा 12 बिस्वा दर्ज किया है जो पुराने रकबा 6 बीघा से 0.20 है0 कम है को दूरूस्त कर 0.76 है0 के स्थान पर 0.96 है0 दर्ज किया जावे क्योकि उक्त त्रुटि आपके अधिनस्थ सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने की है। वादी को 0.96 है आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में वादी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज करने के आदेश प्रविादी क्रम 2 को प्रदान किया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादी एवं अन्य सहखातेदारन के स्वामित्व एवं कब्जा काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा नही करें यदि दौराने वाद प्रतिवादीक्रम 1 आराजी पर जबरन कब्जा कर ले तो उसे बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का ज्ञान प्रति0 क्रम 1 को नहीं होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 का ज्ञान न होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। वाद पत्र मी मद नं0 4 मनघडन्त होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 5 का ज्ञान न होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। वाद पत्र में चाही गई प्रार्थना व डिक्री अ,ब,स अस्वीकार है।

विशेष–आपत्तियां

यह कि वादी द्वारा सम्मानीय न्यायालय में वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीात का वाद प्रस्तुत किया गया है। वह आराजी प्रतिवादिया के पास नही है बल्कि प्रतिवादिया के खिलाफ झूॅठा वाद चलाया जा रहा है जो खारिज होने योग्य है। ग्राम डाबडिया के माल की ख0नं0 188/223 की आराजी 7 बीघा रूकमाबाई पुत्र भोलू जाति धाकड़ निवासी मूण्डला बिसोती की है जिसकी प्रतिवादियों ने दिनांक 5.5.81 में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है और तभी से प्रतिवादिया खातेदार काश्त करती आ रही है। प्रतिवादिया का वादी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादिया को जबरन परेशान किया गया है। इसलिये दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वादी इस आराजी का वाद प्रतिवादिया के विरूद्ध लेकर आया है। उसके ख0नं0 अलग है। जिस आराजी पर प्रतिवादिया का कब्जा है उसके ख0नं0 अलग है। इसलिये दावा खारिज होने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज फरमाते हुये प्रतिवादिया को उसके जवाब का खर्चा दिलवाये जाने की कृपा करें। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया ।

3. दावे व जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं. 1– आया कि वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल को केम्प डाबडिया तह0 अटरू में दिनांक 18.6.1965 को वाके ग्राम एवं माल डाबडिया के साबिक खाता संख्या 124 का खसरा नं0 188 का रकबा 6 बीघा आराजी एलोट हुई थी। वक्त एलोटमेन्ट से उक्त 6 बीघा आराजी पर वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद से वादी का लगातार चला आ रहा है।

.....वादी

तनकी नं. 2– आया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये खाता संख्या 126 का ख0नं0 242 का रकबा 0.76 है0 दर्ज किया है जो पुराने वास्तविक रकबा के हिसाब से 0.96 है0 दर्ज होना चाहिए अर्थात 0.20 है0 आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने कम दर्ज किया जो प्रतिवादिया क्रम 1 के पुराना रकबा 14 बीघा का नया खाता संख्या 63 का 3 किता 2.54 है भूमि शामिल कर दिया है। जिसे वादी सही दर्ज करवाने का अधिकारी है।

.....वादी

तनकी नं. 3– आया कि वादी 0.76 है0 के स्थान पर 0.96 है0 आराजी पर खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। 0.20 है0 आराजी प्रतिवादिया क्रम 1 के खाते में से कम की जाकर वादी के 0.96 है0 आराजी दर्ज की जावे।

.....वादी

तनकी नं. 4– आया कि वादी प्रतिवादिया क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वादी एवं अन्य सहखातेदारान के स्वामित्व एवं कब्जा काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा नही करें। यदि दौराने वाद कब्जा कर लें तो उसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

.....वादी

तनकी नं. 5– आया कि प्रतिवादिया क्रम 1 ने ग्राम डाबडिया के माल की ख0नं0 188/223 की आराजी 7 बीघा रूकमाबाई पुत्री भोलू जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसोती से दिनांक 5.5.1981 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है प्रतिवादिया क्रम 1 का वादी की भूमि पर कोई कब्जा नही है।

.....प्रतिवादीया क्रम 1

तनकी नं. 6– आया कि वादी इस आराजी का वाद प्रतिवादीया क्रम 1 के विरूद्ध लेकर आया है उसके ख0नं0 अलग है जिस आराजी पर प्रतिवादीया क्रम 1 का कब्जा है उसके ख0नं0 अलग है। इसलिये दावा खारिज फरमाया जावे।

.....प्रतिवादीया क्रम 1

तनकी नं. 7– आया कि वादी द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 के खिलाफ झूठा दावा पेश किया है इसलिए प्रतिवादिया क्रम 1 को जवाब का खर्चा वादी से दिलाया जावे।

.....प्रतिवादीया क्रम 1

तनकी नं0 8–दादरसी

4. साक्ष्यवादी क तहत pw 1 का शपथ पत्र पेश किया तथा सशपथ गवाह बयान दर्ज किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां में साबिक खाता संख्या 124 का ख०न० 188 का रकबा 6 बीघा आराजी मेरे पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल के केम्प डाबडिया में दिनांक 18.06.1965 को अलोट हुई थी वक्त एलोटमेन्ट से ही उक्त वर्णित आराजी पर मेरे पिता उनके जीवनकाल तक काश्त करते

चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त 6 बीघा आराजी पर मैं एवं सहखातेदारान काबिज काश्त करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट नये खाता संख्या 126 का ख0नं0 242 का रकबा 0.76 है0 दर्ज किया है जो पुराने वास्तविक रकबा के हिसाब से 0.96 है0 दर्ज होना चाहिए था। मेरा कम किया गया रकबा 0.20 है0 भूमि को मुझे खातेदार कृषक घोषित किया जावे। अभिभाषक प्रतिवादी कम 1 द्वारा जिरह की गई।

5. उभयपक्षारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. अभिभाषक वादी द्वारा बहस में कथन किया कि वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल को राजस्व कैम्प ग्राम डाबडिया में दिनांक 18.06.1965 को साबिक ख0नं0 188 के कुल रकबे में से 6 बीघा आराजी आवंटित हुई थी जिस पर वादी के पिता और उनकी मृत्यु के बाद वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। दोराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों ने उक्त आराजी पर नया ख0नं0 242 बनाकर रकबा केवल 0.76 है0 ही दर्ज किया था जबकि मूल रकबे के आधार पर 0.96 है0 दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार वादी के मूल रकबे को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के 0.20 है0 कम कर दिया जबकि पडौसी काश्तकार प्रतिवादी कम 1 पन्नीबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा (केता) के साबिक ख0नं0 188 मिन, 188/224, व 188/323 कुल रकबा 14 बीघा का नवीन ख0नं0 190 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 243 रकबा 0.95 है0 व ख0नं0 244 रकबा 0.49 है0 कुल किता 3 रकबा 2.54 है0 दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिको प्रतिवादी कम 1 का रकबा 0.30 है0 बढा दिया गया। आस पास के अन्य काश्त कारों का रकबा सेटलमेन्ट के बाद पूर्ववत रखा गया है। वादी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (रिकार्ड) बारां एवं श्रीमान भू0अभि0 अधिकारी कोटा के कार्यालय में साबिक ख0नं0 188 व 184 के नक्शा ट्रेस के लिए आवेदन किया था लेकिन दोनों कार्यालयों में सेटलमेन्ट से पूर्व का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया है। सेटलमेन्ट विभाग की उक्त गलती की वजह से वादी को न केवल अपने स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पड रहा है बल्कि मानसिक व आर्थिक क्षति भी उठानी पड रही है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी कम 1 के गलत तरीके से बढाये गये 0.20 है0 रकबे को कम करके वादी के कम किये रकबे में बढाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाये।

7. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बहस में कथन किया कि ग्राम डाबडिया का साबिक ख0नं0 ख0नं0 188/223 की आराजी 7 बीघा प्रतिवादी द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र रूकमाबाई पुत्री भोलू एवं रामप्रसाद पुत्र मोतीलाल से दिनांक 05.05.1981 में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से लगातार कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रतिवादिया ने वादी की आराजी पर कोई कब्जा नहीं किया है। आगे यह भी तर्क किया कि वादी जिस खसरे के संबंध में वाद लेकर आया है वह प्रतिवादिया के कब्जे काश्त में नही है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

8. उभय पक्षकारान की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा बहस को सुनकर प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी 1– आया कि वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल को केम्प डाबडिया तह0 अटरू में दिनांक 18.6.1965 को वाके ग्राम एवं माल डाबडिया के साबिक खाता संख्या 124 का खसरा नं0 188 का रकबा 6 बीघा आराजी एलोट हुई थी। वक्त एलोटमेन्ट से उक्त 6 बीघा आराजी पर वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद से वादी का लगातार चला आ रहा है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा पेश आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1965 प्रदर्श 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम डाबडिया का ख0नं0 188 रकबा 6 बीघा किस्म बंजड लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल धाकड निवासी डाबडिया को आंवटित हुई थी। ग्राम डाबडिया की जमाबन्दी संवत 2037–40 प्रदर्श 2 के अवलोकन से जाहिर होता है कि ख0नं0 188 में से 6 बीघा आराजी लक्ष्मीनारायण वल्द श्रीलाल जाति मेघवाल को आवंटन हुई है। इस प्रकार दोनों दस्तावेजों में आवंटी का नाम तो एक ही है लेकिन जाति में भिन्नता है। सेटलमेन्ट के दौरान साबिक ख0नं0 188 मिन रकबा 6 बीघा का नवीन ख0नं0 242 रकबा 0.76 है0 दर्ज किया गया है (प्रदर्श–4)। ग्राम डाबडिया की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श 5 के अनुसार भी हाल ख0नं0 242 रकबा 0.76 है0 वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल निवासी डाबडिया के खाते दर्ज है। साक्ष्य गवाह पी0डब्ल्यू 1 ने अपने सशपथ बयानों में कहा है कि उसके पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल को साबिक खाता संख्या 124 ख0नं0 188 में से 6 बीघा आराजी दिनांक 18.06.1965 को आवंटन हुई थी जिस पर पहले वादी के पिता और अब वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी 2 – आया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये खाता संख्या 126 का ख0नं0 242 का रकबा 0.76 है0 दर्ज किया है जो पुराने वास्तविक रकबा के हिसाब से 0.96 है0 दर्ज होना चाहिए अर्थात 0.20 है0 आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने कम दर्ज किया जो प्रतिवादिया क्रम 1 के पुराना रकबा 14 बीघा का नया खाता संख्या 63 का 3 किता 2.54 है भूमि शामिल कर दिया है। जिसे वादी सही दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था । तनकी नं0 1 के विवेचन एवं विश्लेषण तथा प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 , प्रदर्श 3, प्रदर्श 4 , प्रदर्श 5, प्रदर्श 6, प्रदर्श 7 , मार्कड ए से सी एवं साक्ष्य गवाह की जिरह पी0डब्ल्यू 1 के आधार पर स्पष्ट है कि वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल को राजस्व कैम्प ग्राम डाबडिया में दिनांक 18.06.1965 को साबिक ख0नं0 188 के कुल रकबे में से 6 बीघा आराजी आवंटित हुई थी जिस पर वादी के पिता और उनकी मृत्यु के बाद वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। दोराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों ने उक्त आराजी पर नया ख0नं0 242 बनाकर रकबा केवल 0.76 है0 ही दर्ज किया था जबकि मूल रकबे के आधार पर 0.96 है0 दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार वादी के मूल रकबे को 0.20 है0 कम कर दिया जबकि पडौसी काश्तकार प्रतिवादी क्रम 1 पन्नीबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा (क्रेता–पन्नीबाई द्वारा यह आराजी मूल आवंटी रामप्रसाद पुत्र मोतीलाल व रूकमाबाई पुत्री भोलू से क्रय की है) के साबिक ख0नं0 188 मिन, 188/224, व 188/323 कुल रकबा 14 बीघा का नवीन ख0नं0 190 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 243 रकबा 0.95 है0 व ख0नं0 244 रकबा 0.49 है0 कुल किता 3 रकबा 2.54 है0 दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिको प्रतिवादी क्रम 1 का रकबा 0.30 है0 बढा दिया गया। अतः वादी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपनी आराजी के कम किये गये रकबे 0.20 है0 को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3– आया कि वादी 0.76 है0 के स्थान पर 0.96 है0 आराजी पर खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। 0.20 है0 आराजी प्रतिवादिया क्रम 1 के खाते में से कम की जाकर वादी के 0.96 है0 आराजी दर्ज की जावे। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं0 1 व 2 के निर्णय के आधार पर यह तथ्य साबित है कि दौराने सेटलमेन्ट वादी की आराजी का मूल

रकबा 0.20 है0 घटा दिया गया है। जबकि प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी का मूल रकबा 0.30 है0 बढा दिया गया है। ***लेकिन इस न्यायालय के समक्ष परिक्षण का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वादी का घटा हुआ रकबा प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी मे ही बढाया गया है या किसी अन्य पडौसी काश्तकार के रकबे में बढाया गया ?*** वादी द्वारा आस पास के काश्तकारों का न तो सेटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा ट्रेस पेश किया गया है और न ही सेटलमेन्ट के बाद का नक्शा ट्रेस पेश किया गया है। वादी द्वारा अपनी आराजी हाल ख0नं0 242 के आस पास के सभी काश्तकारों के खसरा नम्बरों और उनका भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षैत्रफल भी पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट भी पेश नहीं की है जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादी क्रम 1 मौके पर 2.54 है0 आराजी पर ही कब्जा काश्त है। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान यह कथन किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 ने दो बार 7–7 बीघा आराजी क्रय की है और उसी अनुसार कब्जे काश्त चली आ रही है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी की आराजी पर कब्जा कर रखा है तो वादी साबित करे। ***यह तथ्य भी विचारणीय है कि वादी अनुसुचित जाति से है और प्रतिवादी क्रम 1 अनुसूचित जनजाति से है। अतः यदि प्रतिवादी क्रम 1 के 0.20 है0 रकबे पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाये तो क्या धारा 42 बी आर0टी0एक्ट0 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होगा ? वादी उक्त तथ्य को भी साबित नहीं कर पाया है।***

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि वादी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह साबित करने में विफल रहा है कि वादी का कम हुआ 0.20 है0 रकबा केवल प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी में ही बढाया गया है और अन्य पडौसी खातेदारों की आराजी में नहीं ।

अतः तनकी नं0 3 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4– आया कि वादी प्रतिवादिया क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वादी एवं अन्य सहखातेदारान के स्वामित्व एवं कब्जा काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा नही करें। यदि दौराने वाद कब्जा कर लें तो उसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं0 1 ता 3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी और प्रतिवादी क्रम 1 कई वर्षों से राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपनी अपनी आराजी की रकबे के अनुसार ही कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के

आधार पर यह साबित नहीं कर पाया है कि प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी की 0.20 है0 आराजी पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादी ने अपने सशपथ बयानों में जिरह के दोरान यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 मौके पर 16 बीघा पर कब्जा काश्त है। ग्राम डाबडिया की जमाबन्दी प्रदर्श 6 के अनुसार भी वादी के रिकार्ड में करीब 16 बीघा यानी 2.54 है0 आराजी रिकार्ड में दर्ज है। जब प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी की आराजी पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा ही नहीं किया हुआ है तो फिर प्रतिवादी को किस आधार पर जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 4 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5– आया कि प्रतिवादिया क्रम 1 ने ग्राम डाबडिया के माल की ख0नं0 188/223 की आराजी 7 बीघा रूकमाबाई पुत्री भोलू जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसोती से दिनांक 5.5.1981 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है प्रतिवादिया क्रम 1 का वादी की भूमि पर कोई कब्जा नही है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। पेश रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 05.05. 81 की छायाप्रति **मार्कण्ड बी** के अनुसार यह जाहिर होता है कि प्रतिवादी क्रम 1 ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र साबिक ख0नं0 188/223 रकबा 7 बीघा रूकमा बाई पुत्री भोलू जाति धाकड से क्रय की है। यद्यपि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उक्त रजि0 विक्रय पत्र की न तो प्रमाणित प्रति पेश की है और न ही साक्ष्य के दौरान इसे प्रदर्श अंकित करवाया है तथापि जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर **तनकी नं0 5 प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।**

तनकी नं. 6– आया कि वादी इस आराजी का वाद प्रतिवादीया क्रम 1 के विरूद्ध लेकर आया है उसके ख0नं0 अलग है जिस आराजी पर प्रतिवादीया क्रम 1 का कब्जा है उसके ख0नं0 अलग है। इसलिये दावा खारिज फरमाया जावे। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीया क्रम 1 पर था और जिसे दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर साबित करने में प्रतिवादीया विफल रही है। अतः तनकी नं0 6 प्रतिवादिया क्रम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 7– आया कि वादी द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 के खिलाफ झूठा दावा पेश किया है इसलिए प्रतिवादिया क्रम 1 को जवाब का खर्चा वादी से दिलाया जावे।उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीया क्रम 1 पर था । यह तथ्य साबित हो चुका है कि सेटलमेन्ट के दौरान वादी का

मूल रकबा 0.20 है0 कम कर दिया गया है जिससे वादी को अपनी आराजी पर हक व अधिकार से वंचित होना पडा है । प्रतिवादी क्रम 1 का रकबा भी 0.30 है0 बढाया गया है। लेकिन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वादी अपने अनुतोष को साबित नहीं कर पाया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादी द्वारा प्रतिवादिया के विरूद्ध झूठा दावा पेश किया है। अतः तनकी नं0 7 प्रतिवादिया क्रम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 73/2014

उनवान

1. ओमप्रकाश आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मेघवाल निवासी डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. पन्नीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी रामनिवास तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,183, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0
बाबत रिकार्ड दुरस्ती

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह

मिनजानित मुदई रूबरू .....र.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल डाबडिया खाता संख्या 126 का खं नं. 242 का रकबा 0.76 है0 के संबंध मे पेश वादी का वाद **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....र..... मुबालिक .....र..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....र..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....र..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.09.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)